मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्रमॉक/एफ–5/21/2002/10/3 भोपाल, दिनांक अप्रैल 2003

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश,भोपाल ।

विषयः– वन विभाग में प्रशमन हेतु लंबित वन अपराध प्रकरणों को निरस्त करने संबंधी।

राज्य शासन वन विभाग में प्रशमन हेतु लंबित वन अपराध प्रकरणों को निरस्त करने के संबंध में एतद् व्दारा निर्णय लिया गया है कि :–

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दिनांक 30–6–2002 के पूर्व पंजीबध्द समस्त वन अपराध प्रकरण जिनका अभियोजन न्यायालय में प्रारंभ नहीं किया गया है, समाप्त करने की कार्यवाही की जाए । इन प्रकरणों में वाहन की जप्ती एवं राजसात से संबंध्द प्रकरण, अतिक्रमण एवं वन्य प्राणी से संबंधित प्रकरण एवं संरक्षित क्षेत्रों में पंजीबध्द प्रकरण शामिल नहीं होगें । परन्तु वर्ष 1980 के पूर्व के वनभूमि के अपात्र अतिक्रामकों में से उन अतिक्रामकों के प्रकरण भी इनमें शामिल होगें, जो मध्य प्रदेश शासन व्दारा भारत शासन को भेजे गए पात्रता के मापदण्डों के अन्दर पात्र पाए जाते हैं । इन प्रकरणों में लंबित वसूली रोक दी जाए एवं ऐसी वनोपज जो वन अपराधियों के कब्जे में है, उसको उन्हीं के पास रहने दिया जाए ।

(2) 30 जून, 2002 के बाद पंजीबध्द समस्त प्रकरण भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधान के अनुसार निराकृत किये जाए । यदि समयावधि में अपराधी व्दारा अपराध का प्रशमन संपूर्ण नहीं कराया जाता है तो प्रकरण अनिवार्यतः सक्षम न्यायालय में अभियोजन हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

(3) वन अपराधों के अभियोजन का कार्य संपादित करने हेतु प्रत्येक वन मण्डल में एक सहायक वन संरक्षक की पदस्थी की जाए । परन्तु इसके लिये सहायक वन संरक्षक संवर्ग में कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाए ।

(4) अपराधों के अभियोजन पर होने वाले व्यय हेतु एक अलग बजट मद निर्मित किया जाए जिसमें वन विभाग में गैर योजनामद में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाए ।

(5) वन अपराधों के अभियोजन के लिए विभिन्न जिलों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग व्दारा अनुमोदित अधिवक्ता के पेनल में से अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित वन मण्डलाधिकारी व्दारा की जाए एवं वनमण्डलाधिकारी व्दारा अधिवक्ताओं को विधि एवं विधायी कार्य विभाग व्दारा पेनल के लिये निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाय। अपराधियों के परिवहन, भोजन इत्यादि पुलिस विभाग के लिये स्वीकृत दरों के अनुरुप वन मण्डलाधिकारी व्दारा स्वीकृत किये जायें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही

(रतन पुरवार)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क0/एफ–5/21/2002/10/3 भोपाल, दिनांक 22 अप्रेल, 2003.

प्रतिलिपि :–

1– प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य वन विकास निगम,भोपाल ।

2– मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग